

जनपद बाराबंकी

दिनांक- 03.12.2022

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा चोरी व डकैती कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंग सदस्य की अचल सम्पत्ति कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई -

थाना लोनीकटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य दीपक कुमार उर्फ आजाद पुत्र महेश कश्यप निवासी मोहल्ला बिजनौर थाना बिजनौर जनपद लखनऊ द्वारा चोरी व डकैती कर धनोपार्जन से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अवैध रूप से चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। जिला प्रशासन एवं बाराबंकी पुलिस द्वारा उक्त अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 30 लाख रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-

दीपक कुमार उर्फ आजाद पुत्र महेश कश्यप निवासी मोहल्ला बिजनौर थाना बिजनौर जनपद लखनऊ -

कुर्क सम्पत्ति का विवरण- अचल सम्पत्ति कुल कीमत लगभग (लगभग तीस लाख रुपये)

- 1- मोहल्ला व थाना बिजनौर जनपद लखनऊ स्थित भूमि कीमत लगभग- 10,00,000/- रुपये
- 2- मोहल्ला व थाना बिजनौर जनपद लखनऊ स्थित मकान कीमत लगभग- 20,00,000/- रुपये

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-25/21 धारा 395/397/412 भादवि थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0-80/22 धारा 411/412 भादवि थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी